

डा0 के0के0 पाल

राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
हे0न0ब0उ0चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या- 517 / जी0एस0 / शिक्षा / C15-2 / 2016

दिनांक : 04 मई, 2016

आदेश

एतद्वारा, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या-3675/जी0एस0/शिक्षा/C15-2/2016, दिनांक 21-11-2015 को अतिक्रमित करते हुये हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-10 की उपधारा-(5) व (6) के प्राविधानों के अधीन डा0 सौदान सिंह {Director Professor, Deptt. of Com. Medicine & Director, National Organ & Tissue Transplant Organizaion (NOTTO)}, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एण्ड सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।


डा0 के0 के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 517 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C15-2/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. डा0 सौदान सिंह, सी-50, ग्राउंड फ्लोर, बीरबल रोड़, जंगपुरा एक्शटेंशन, नई दिल्ली-14।
5. प्रधानाचार्य, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एण्ड सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली-110029
6. डा0 प्रदीप कुमार गर्ग, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
7. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अरुण कुमार ढांडियाल)

विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।